खण्ड-441, अंक-2
बुधवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1924
(15 मई, 2002 ई0)

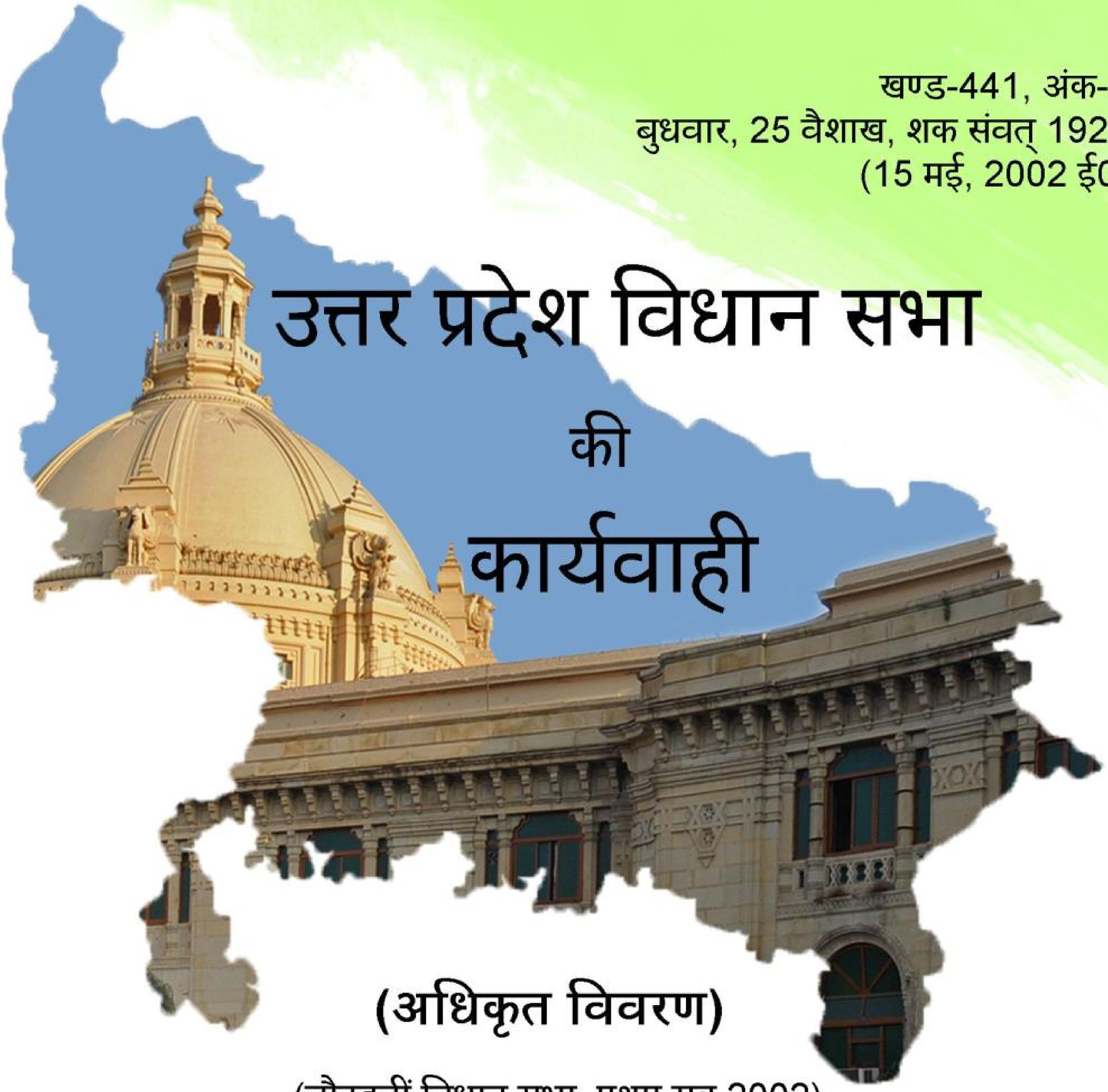

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2002)

खण्ड 441 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	[illegible]
राष्ट्रीय गीत	
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1-
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	3-1
दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	13-1
उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	[illegible]
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	[illegible]
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	1
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	[illegible]
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2001 .... (सदन के पटल पर रखी गई) ...	

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	16
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 ... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	16
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	16
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 ... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	16-17
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोअनुसंधान विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना) ...	18
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	18-19
उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	19
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	19-20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	20
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	20
राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	20
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 .... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	20-21
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2002–2003 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली तीस स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	21-22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 15 मई, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	14–महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
2–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	15–मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
3–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	16–मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
4–उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी	17–राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
5–प्रेम सिंह, श्री	मथुरा	18–रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
6–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	19–लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
7–फागू, श्री	मऊ	20–विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर
8–बाबूराम, एम०काम०, श्री	जालौन		भदोही
9–विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	21–वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
10–वीरेन्द्र सिंह बुन्द भगत राजा, श्री	ललितपुर	22–वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
11–बैजनाथ, श्री	मऊ	23–शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
12–भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली	24–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
13–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली	25–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

राष्ट्रीय गीत

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले बन्दे मातरम् हो जाये । आप लोग स्थान ग्रहण करें । उत्तर प्रदेश की 14वीं विधान सभा के इस सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है । जैसी परम्परा है । हम इस सत्र का प्रारम्भ "बन्दे मातरम्" से करते हैं । आप लोग कृपया खड़े हो जायें ।

बन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम् ।

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप नियमावली के पृष्ठ 11 को देखने का कष्ट करें । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 को देखें । सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत् हुए

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे । सामान्य निर्वाचन हो गया महामहिम राज्यपाल जी के परामर्श से नई सरकार के समवेत् सदन को आहूत भी कर लिया । यहां पर माननीय सदस्यगण प्रतीक्षा करते रहे कि महामहिम जी आयेंगे, वह अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे । 11.00 बजे महामहिम जी आये भी आप उन्हें लेकर आये ग्यारह बजकर एक मिनट पर महामहिम जी आयें और 11.03 पर आप उन्हें लेकर वापस भी चले गये । अब कम्प्यूटर का जमाना है महामहिम राज्यपाल जी योग्य हैं विद्वान हैं लेकिन डेढ़ मिनट में 29 पृष्ठ का अभिभाषण पढ़ने की क्षमता किसी में नहीं है । यह असंभव है । दूसरी बात आहूत करने का कारण भी बतायें । उन्हें इस सदन को कारण बताना चाहिये था ।

मान्यवर, जब अभिभाषण नहीं पढ़ा गया, उन्होंने कारण नहीं बताया तो यह जो परम्परा रही है कि आप उनके पढ़े हुये अभिभाषण को पुनः सदन को सुनायेंगे, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियमों के अनुसार महामहिम राज्यपाल यहां आये जरूर, हमने उनके दर्शन किये, आप उन्हें कृपापूर्वक साथ में यहां लायें । वे यहां एक मिनट में आकर चले गये । मान्यवर, एक-दो मिनट में 30 पृष्ठ पढ़े नहीं जा सकते । उन्होंने कारण भी नहीं बताया इसलिये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ ही नहीं तो फिर क्या औचित्य है कि आप उसको पढ़कर सुनायें । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा भी इसी पर व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अम्बिका जी आपका भी इसी विषय पर प्रश्न है या फिर कोई दूसरा विषय है । तिवारी जी इस विषय पर अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज की विधान सभा की कार्य सूची में मद संख्या–2 पर है, कि माननीय अध्यक्ष, श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़कर सुनायेंगे । मान्यवर मैं पहली बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का भाषण जैसा कि प्रमोद जी ने कहा है, एक मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता है । एक मिनट से भी कम समय में महामहिम आकर चले गये, हमने निश्चित रूप से समय देखा है । महामहिम राज्यपाल ने एक भी शब्द न तो शुरू का, न अन्त का और न ही मध्य का पढ़ा, न हीं उन्होंने एक भी शब्द का उच्चारण किया । इस सभा मण्डप में किसी ने भी उनके एक शब्द का उच्चारण नहीं सुना, आप तो उनके बगल में ही बैठे थे । मैं तो कहना चाहता हूं कि वे आये, बैठे जरूर और चले गये । एक भी शब्द उन्होंने नहीं पढ़ा । कार्यवाही शुरू करने से पहले आप महामहिम राज्यपाल महोदय को दोबारा बुलायें और वे अपना अभिभाषण पढ़ें । जब तक उनका अभिभाषण नहीं होगा उसको आपके द्वारा पढ़कर सदन को सुनाया जाना नियमों के विरुद्ध होगा । हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने दो माननीय सदस्यों को सुन लिया है । एक ही बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सुन लें । आपका निर्णय शिरोधार्य होगा । आप पहले सुन लें फिर उस पर अपना निर्णय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय ऐसा नहीं होगा जो पहले निर्णीत न हो चुका हो ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पहले हुआ होगा । मान्यवर, हमने आप पर विश्वास व्यक्त किया है । महामहिम राज्यपाल का विरोध हम नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा इसमें सरकार की भविष्य की क्रियाओं का खुलासा होता है जिसको उन्हें इस सदन में पढ़कर सुनाना होता है । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न इसलिये बनता है कि आप देखें नियम–300 में अगर कोई ऐसा कार्य हो जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो और अध्यक्ष के संज्ञान में हो । मान्यवर, आप उपस्थित थे और आपने स्वयं देखा कि महामहिम राज्यपाल आये, सब बैठ गये, वे एक मिनट बैठे उनकी आवाज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं सुनी । इसलिये हमारा कहना है कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ ही नहीं । आप उनको बुलाकर उनका अभिभाषण करवा दें और उसके बाद आगे की कार्यवाही हो ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है, इसके आगे नहीं लिखा जायेगा । एक ही विषय के प्रश्न पर अनेक लोगों को अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है । मैंने माननीय प्रमोद कुमार, श्री अम्बिका चौधरी और श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को सुना और उस पर विचार किया । इस बात के पूर्व दृष्टान्त हैं कि दोनों सदनों के समवेत् सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय आये, अपने भाषण का पहला और अंतिम वाक्य पढ़ देते हैं तो उसको पढ़ा हुआ माना जाता है । आज भी उन्होंने पहला और अन्तिम वाक्य पढ़ा था इसलिये इस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों .....

श्री प्रमोद कुमार–

पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

[इस अधिवेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामनायें देता हूं। आप अवगत हैं कि 14वीं विधान सभा के चुनाव फरवरी, 2002 में हुए थे, परन्तु राजनीतिक गतिरोध के कारण लगभग तीन माह के अन्तराल के बाद आज इस विधान सभा का पहला सत्र प्रारम्भ हो रहा है। यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अंततः एक लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है।

राष्ट्रपति शासन कभी भी लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का यह मूल मंत्र है कि लोगों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। लगभग दो महीनों की राजनीतिक शून्यता के पश्चात् अब एक निर्वाचित सरकार का गठन हुआ है और जनता के सभी वर्गों ने नवगठित बहुजन समाजपार्टी–भारतीय जनता पार्टी तथा उनके सहयोगी दलों की साझा सरकार का स्वागत किया है। इस सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने तथा राजनीतिक स्थिरता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और ऐसा वातावरण सृजित करने में सफलता प्राप्त करेगी जो प्रदेश में विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

आप सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए जहां मुझे प्रसन्नता है वहीं इस बात की दुःख भी है कि माननीय विधान मण्डल के माननीय सदस्य श्री सत्य नारायण तिवारी और श्री मंजूर अहमद हमारे बीच नहीं रहे। मैं इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुये उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

आपने देखा है कि मेरे मंत्रि-मण्डल में प्रदेश के लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। हमारा यही प्रयास है कि समाज का हर वर्ग प्रदेश के विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सबकी सम्मिलित ऊर्जा इस प्रदेश के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मंत्रि-मण्डल उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुये निष्पक्ष नीतियों पर चलेगा।

मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा कि प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा हो। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग का हर क्षेत्र में उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा परन्तु समाज का ऐसा वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का शिकार रहा है, जिसमें दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग एवं कमजोर तबके के लोग आते हैं, इनके हितों का प्राथमिकता पर ध्यान रखा जायेगा। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा। समाज के किसी वर्ग के साथ जाति या धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा।

मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। सभी अवगत हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था जर्जर है। आय और व्यय के मध्य संतुलन इस हद तक बिगड़ा है कि विकास के काम अवरुद्ध हो रहे हैं। सरकार के अनुत्पादक खर्च बढ़े हैं जबकि उत्पादक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिये उपलब्ध धनराशि में उल्लेखनीय कमी आयी है। हमारा यह विश्वास है कि जब तक इस असंतुलन को दूर नहीं किया जायेगा, तब तक राज्य की प्रगति एवं विकास के समक्ष सदैव संदेह का प्रश्नचिह्न लगा रहेगा।

हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश में कठोर वित्तीय अनुशासन स्थापित हो, अनुत्पादक एवं अनावश्यक खर्चे कम किये जायें तथा विकास और कल्याण के कार्यक्रमों के लिये अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये नये कदम उठायेगी, राजस्व की वृद्धि करने के लिये प्रक्रियाओं का सरलीकरण करेगी, कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनायेगी, करों की चोरी रोकेगी तथा राजस्व अभिवृद्धि के उपाय करेगी जिससे जनता पर अधिक दबाव भी न हो, परन्तु उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक दोहन हो।

हमारी सरकार का यह निश्चित मत है कि प्रदेश का विकास केवल सुरक्षा के वातावरण में ही संभव है। जब प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा तभी आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और प्रदेश वासियों की उत्पादक ऊर्जा अविरल प्रवाहित हो सकेगी। इस हेतु अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसा जायेगा। हमारी सरकार का यह मंत है कि अपराधियों की जगह जेल के सीखचों के पीछे है–उन्हें जनता को उत्पीड़ित करने या भयभीत करने नहीं दिया जायेगा।

अपराध समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं, परन्तु इनका ज्यादा प्रभाव उन वर्गों पर पड़ता है जो गरीब हैं और पहले से ही वंचित हैं। विकास एवं समता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश को अपराधमुक्त और भयमुक्त करना हमारा संकल्प है। हमारी सरकार असामाजिक तत्वों, माफियाओं तथा गुण्डा तत्वों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देती है।

प्रदेश में उत्कृष्ट कानून व्यवस्था की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा यह है कि अपराधियों की सजा की दर में निरन्तर कमी आयी है, जिसके कारण कानून के राज के प्रति जन विश्वास कम हुआ है एवं दण्ड का भय लुप्तप्राय हो गया है। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि आपराधिक मामलों की विवेचना की गुणवत्ता में सुधार हो तथा अभियोजन की प्रक्रिया तत्परता से पूर्ण की जाय। इन दोनों उपायों से मुझे विश्वास है कि हम अपराधियों को दण्ड की तार्किक परिणति तक ले जा सकेंगे जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा।

मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि समस्त प्रशासन तंत्र पूर्ण दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अधिकारियों के अन्दर यह भावना विकसित की जायेगी कि जनमानस के कल्याण तथा नियमों का पालन ही उनका एक मात्र धर्म है। अधिकारियों में संवेदनहीनता तथा कर्तव्यहीनता किसी

भी दशा में बर्दास्त नहीं की जायेगी । मेरी सरकार नेक नीयत से कार्य करने वाले अधिकारियों को पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करेगी, परन्तु बदनीयती को स्वीकार नहीं करेगी । मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि प्रदेश की अधिकांश समस्याओं का निराकरण अच्छे प्रबन्धन एवं उच्च स्तरीय प्रशासन के माध्यम से ही किया जा सकता है । इसके लिये किसी अतिरिक्त संशाधन की आवश्यकता नहीं है ।

मेरी सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि प्रशासन संवेदनशील एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर और परिणामपरक हो–चाहे वह मण्डल स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो अथवा उससे भी नीचे तहसील स्तर पर हो । प्रशासन तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे जनता की समस्याओं को सुलझाने हेतु निरन्तर उपलब्ध रहें । सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जायेगी एवं अधिकारियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जायेगा कि उन्होंने जनता की समस्या के निराकरण की दिशा में क्या तत्परता एवं संवेदनशीलता दिखाई ।

लोकतंत्र की सुचारु व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि जनता को अपने शासन तंत्र की सही-सही जानकारी हो । मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि शासन एवं प्रशासन में जितनी आर्थिक पारदर्शिता लायी जायेगी हम उतना ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे । मेरी सरकार भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और भ्रष्ट गतिविधियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी साथ ही मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है कि शासन और प्रशासन में लालफीताशाही को समाप्त किया जाय । इस हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य प्रणाली को सरल बनाया जायेगा ताकि प्रशासन और शासन आम जनता की आसान पहुंच में हो ।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये यह अनिवार्य हो गया है कि पारम्परिक आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त रोजगार के नये साधन उपलब्ध कराये जायें और इस दृष्टि से उद्योग का विशेष महत्व है । अनेक संसाधनों से युक्त होने के बावजूद प्रदेश का वांछित औद्योगीकरण नहीं हो सका है । अनेक व्यवसायी प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं मेरी सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के सार्थक उपाय करेगी ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से मेरी सरकार अप्रवासी भारतीयों तथा निजी पूंजी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित करती है और उनको आश्वस्त करती है कि उनको सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । इसके लिये हर स्तर पर एक विश्वसनीय निवेशपरक वातावरण बनाया जायेगा ताकि उद्यमियों को प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके । करों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा और इंस्पेक्टर राज को समाप्त किये जाने की दिशा में पूर्व में उठाये गये कदमों को सख्ती से लागू किया जायेगा । साथ ही उद्यमियों के लिये आधारभूत अवस्थापना सुविधायें जैसे–बिजली सड़क तथा भूमि की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी । मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक एवं सरल बनाया जाय और एक ऐसा वातावरण बनाया जाय कि देश-विदेश से उद्यमी और पूंजी निवेशक प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित हों । इन सब के पीछे हमारा मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होगा कि उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को झंझटमुक्त एवं मित्रतापूर्ण वातावरण मिल सके ।

उद्योगों की दृष्टि से मेरी सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना ताज इकोनोमिक जोन की स्थापना के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली एवं आगरा के मध्य एक आर्थिक गलियारा विकसित किया जायेगा जिसमें निर्यात क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट, कृषि प्रोत्साहन परिक्षेत्र तथा ताज एक्सप्रेस-वे भी सम्मिलित होंगे। इसी में एक नगर का भी विकास किया जायेगा जो उपरोक्त सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि दिल्ली में निर्माणाधीन मेट्रो का विस्तार आगरा तक किया जाय ताकि यह सम्पूर्ण परिक्षेत्र एकीकृत आर्थिक इकाई के रुप में विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त भदोही, कानपुर तथा लोनी के लिये प्रस्तावित विशेष निर्यात परिक्षेत्र को भी विकसित किया जायेगा। इसका सीधा लाभ लघु उद्योगों को प्राप्त होगा एवं प्रदेश के उत्पादों को अन्तर्रास्ट्रीय बाजार में उतारने का अवसर प्राप्त होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की नीति होगी। ग्रामीण शिल्पकारों तथा कारीगरों का एक बड़ा वर्ग गतिमान है जो आधुनिक उद्योगों के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो रहा है। मेरी सरकार इन शिल्पकारों के कौशल में अभिवृद्धि की योजना बनायेगी ताकि उन्हें रोजगार के लाभप्रद अवसर उपलब्ध हो सकें एवं हमारे पारम्परिक शिल्प न केवल जीवित बने रहे बल्कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपना योगदान दे सकें।

हमारे लिये चिन्ता का विषय है कि ऋण जमा अनुपात में लगातार ह्रास हुआ है जिसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे संसाधनों का लाभ हमारे प्रदेश को प्राप्त नहीं हो रहा है। यह एक विशिष्ट प्रकार का पूंजी पलायन है जिसे तत्काल रोकना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके लिये प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये, उद्योग स्थापित करने के लिये, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये तथा वृहद परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये दूरगामी नीति बनाई जायेगी एवं उसे प्रभावी तौर पर क्रियान्वित किया जायेगा। हम अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्वरोजगार की ओर आकर्षित हों एवं इसके लिये वांछित कौशल एवं उद्यमिता का विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

आप सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता आज भी गांवों में रहती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि कृषि एवं ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों में तेजी लायी जाय, जिससे प्रदेश के विकास दर में वृद्धि हो और साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो इसके लिये ग्रामीण अवस्थापना का विकास करेंगे। हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्गों का निर्माण करेगी, गांवों में चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराने के लिये वर्तमान व्यवस्थाओं का उच्चीकरण करेगी, विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय .धिकारियों एवं कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी, शिक्षकों में समयशीलता को प्राथमिकता देगी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को तेजी से आगे बढ़ायेगी। मेरी सरकार जहां सभी गांवों के विकास पर ध्यान देगी वहीं उन क्षेत्रों का संतृप्तीकरण करेगी जहां समाज के गरीब पिछड़े एवं दलित लोगों का आधिक्य हो। इस पृष्ठभूमि में 2001-2002 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों का संतृप्तीकरण 30 सितम्बर, 2002 तक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

मेरी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर संभव प्रयास करेगी एवं कृषि निवेशों यथा–बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन, कृषि ऋण आदि की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

इस परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं को सक्रिय किया जायेगा तथा इनके माध्यम से किसानों की पूंजी की आवश्यकताओं की ससमय सार्थक पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी । इसके साथ ही ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि यह सहकारी संस्थाएं अपने संसाधनों को इस प्रकार से विकसित करें कि वे आत्मनिर्भर हो जायें और उनकी सरकारी अनुदान के प्रति निर्भरता में कमी आये । मेरी सरकार इन संस्थाओं की कार्यपद्धति को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिये प्रयास करेगी । इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में हमारी सरकार 11 लाख किसानों को नये किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायेगी ।

मेरी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की खुशहाली के लिये अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा ससमय उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है । मेरी सरकार उपलब्ध जन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करेगी एवं इसके साथ ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठायेगी कि लघु एवं सीमान्त किसानों को भी आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो । वर्ष 2002-2003 विश्व बैंक द्वारा पोषित वाटर सेक्टर पुनर्गठन परियोजना के क्रियान्वयन का प्रथम वर्ष है । इस योजना के माध्यम से जनसहभागिता को सुनिश्चित करते हुए सिंचाई संसाधनों में मूलभूत परिवर्तन किये जायेंगे एवं अभिवृद्धि की जायेगी, जिसका दीर्घकालिक लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा । लघु सिंचाई के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों हेतु आन फार्म वाटर मैनेजमेंट की योजना भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी ।

कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये मेरी सरकार विभिन्न बाजारों से कृषि विपणन सूचना एकत्रित कर उनका प्रचार-प्रसार करेगी एवं कृषि विपणन स्थलों का व्यापक विकास करेगी । कृषि विपणन क्षेत्र में दूरगामी नीतिगत सुधार किये जायेंगे, जिनमें मण्डी स्थलों के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता, कृषकों से डायरेक्ट कान्ट्रेक्ट फार्मिंग, वेयर हाउस प्लेज योजना आदि सम्मिलित हैं । कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर एक मण्डी स्थल अथवा मण्डी उप स्थल की स्थापना सुनिश्चित की जा रही है । हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो विद्यमान विपणन की सुविधायें उपलब्ध हैं उनका सही एवं अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित हो ।

इसी क्रम में मेरी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी । गेहूं खरीद के कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी से क्रियान्वित किया जायेगा और इस ओर ध्यान दिया जायेगा कि किसी भी स्थान पर किसान को विवश होकर अपना गेहूं निर्धारित मूल्य से नीचे पर न बेचना पड़े । मेरी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे और गेहूं की खरीद सीधे किसानों से की जाये । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि गेहूं क्रय केन्द्र तत्काल क्रियाशील हो जायें तथा किसानों को उनका पैसा तत्परता से मिल जाये ।

कृषि के साथ-साथ ग्रामीण जनता की खुशहाली के लिये आवश्यक है कि अन्य छोटे-बड़े रोजगार के साधन भी गांव स्तर पर उपलब्ध हो । मेरी सरकार गरीबों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिये कृत संकल्प है और इस दिशा में ग्राम्य विकास के रोजगारपरक कार्यक्रमों एवं कृषि से संबंधित अन्य विकास परक कार्यक्रमों जैसे–पशुपालन, डेरी एवं ग्रामोद्योग को प्राथमिकता दी जायेगी ।

ग्राम्य विकास के लिये यह आवश्यक है कि भूमि सुधार की विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाय । हमारे गांवों में अनेक ऐसे गरीब खेतिहर मजदूर हैं जिन्हें पट्टे पर जमीन आवंटित की गयी है परन्तु उन्हें उसका कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया है । मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पट्टेदार को उसे आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सके ।

इसके लिये एक अभियान चलाया जायेगा । इसके साथ ही अवैध कब्जों को हटाकर भूमि का आवंटन वास्तविक पात्र व्यक्तियों को किया जायेगा और अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रामीण अवस्थापना का एक महत्वपूर्ण घटक ग्रामीण विद्युतीकरण है और यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अधिकाधिक धन की व्यवस्था करायी जाय ताकि प्रदेश के सभी गांवों को बिजली एक निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत उपलब्ध हो सके ।

मा० सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये एवं साथ ही साथ किसानों की खुशहाली के लिये बिजली का विशेष महत्व है । मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि ऊर्जा की स्थिति में सुधार हो । ऊर्जा की स्थिति में सुधार के लिये विद्युत उत्पादन एवं विद्युत वितरण की व्यवस्था के लिये ठोस कदम उठाये जाने होंगे जिससे उपभोक्ताओं को जहां उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके वहीं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के राजस्व घाटे को कम कर उसकी सरकार के ऊपर निर्भरता को कम से कम किया जा सके । मेरी सरकार इस बात के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि विद्युत की चोरी को रोका जाय एवं बड़े विद्युत बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय, जिन विद्युत अधिकारियों/कर्मचारियों की विद्युत चोरी में संलिप्तता पायी जायेगी उन पर भी सरकार कठोर कार्यवाही करेगी । विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन के क्षेत्र में दूरगामी नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे जिससे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो ।

प्रदेश में तापीय विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता 3909 मेगावाट है और विगत वर्ष इनका प्लान्ट लोड फैक्टर 59.76 प्रतिशत रहा । इस वर्ष बेहतर संचालन के माध्यम से प्लान्ट लोड फैक्टर में और वृद्धि की जायेगी । विद्युत उत्पादन निगम की पारीच्छा एवं ओबरा की पुरानी इकाइयों के जीर्णोद्धार योजनाओं को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जायेगा ताकि प्रदेश को अधिकाधिक आपूर्ति अपने विद्युत गृहों से ही प्राप्त हो सके । प्रदेश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1000 मेगावाट की अनपरा सी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी । मेरी सरकार नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को विशेष प्राथमिकता प्रदान करेगी ।

मेरी सरकार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को अधिक गति से क्रियान्वित करेगी । वर्ष 2001-2002 से भारत सरकार द्वारा प्रेषित नये मार्गदर्शक सिद्धान्त के आधार पर मेरी सरकार सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास करेगी । अवस्थापना के अन्तर्गत ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सर्वऋतु उपयोगी सड़कों से वर्ष 2007 तक जोड़ने की योजना है । इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां पूर्व में रही है । हमारी सरकार का संकल्प है कि हम इन अवरोधों को दूर करके इस योजना का क्रियान्वयन तीव्रता से करेंगे ।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है । यह हमारे लिये हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में गन्ना की पेराई व चीनी उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है । मेरी सरकार गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के प्रतिबद्ध है । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनका मूल्य ससमय प्राप्त

हो सके और उनके बकाया मूल्यों का भुगतान तत्परतापूर्वक एवं सुविधाजनक रूप से हो । इस दिशा में किसानों के भुगतान की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जायेगा, ताकि हमारे किसान परेशान न हो । साथ ही मेरी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि गन्ना किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो ताकि रिकवरी पर्सेन्टेज में सुधार हो । गन्ना किसानों के हितों के सुधार के साथ-साथ मेरी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि चीनी उद्योग के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा हो एवं निजी पूंजी निवेशकों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आकर्षित किया जा सके ।

प्रदेश में औद्यानिक विकास की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास को और अधिक गति प्रदान किया जाना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी । औद्यानिक उत्पादों के प्रसंस्करण और उनके निर्यात को अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा और इसके लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना करायी जायेगी । प्रदेश में उत्पादित प्याज की क्षति को कम करने के लिये इस वर्ष मेरी सरकार द्वारा पहली बार मुख्य उत्पादक 15 जनपदों में विशिष्ट प्रकार के 90 भण्डारक कक्षों की स्थापना सुनिश्चित करेगी ।

क्षेत्रीय असंतुलन उत्तर प्रदेश की समस्याओं में एक है । सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि प्रदेश के कुछ क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की समस्याएं विशेष प्रकार की हैं । मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इन समस्याओं का दीर्घकालिक निराकरण किया जा सके एवं इन क्षेत्रों की अवस्थापना में इस प्रकार से सुधार हो कि वे भी अपनी सम्पूर्ण आर्थिक संभावनाओं के अनुरूप विकसित हो सके । मेरी सरकार पूर्वांचल निधि एवं बुन्देलखण्ड निधि का उपयोग इस प्रकार से सुनिश्चित करेगी कि उसका अधिक से अधिक लाभ स्थानीय जनता को प्राप्त हो सके और इन क्षेत्रों के विकास में बाधक समस्याओं का व्यापक निराकरण हो सके ।

मेरी सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है । इस दिशा में जहां पर्याप्त संख्या में विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा । वहीं विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी । विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल हो इस हेतु मेरी सरकार कदम उठायेगी । मेरी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करेगी और नये महाविद्यालय, संस्थान, संकाय खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा । मेरी सरकार विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र को नियमित बनाये रखने के प्रति कृत संकल्प है तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का उचित वातावरण हो उसके प्रति भी गम्भीर है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा विकलांगों का कल्याण मेरी सरकार के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा । मेरी सरकार की योजना है कि दसवीं कक्षा तक सभी अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति से आच्छादित किया जाय और उनके लिये प्रत्येक तहसील पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । स्वच्छकार परिवारों के छात्र-छात्राओं हेतु 12वीं कक्षा तक आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन तथा मण्डल मुख्यालय पर आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कराने और 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डा० अम्बेडकर निधि से विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है । मेरी सरकार द्वारा कुल आयोजनागत परिव्यय में से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही वित्तीय वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना संरचना का कार्य किया जायेगा ।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये आगामी वर्ष में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, आई० टी० आई० में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना, पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पुत्री की शादी तथा उपचार के लिये आर्थिक सहायता की योजना, पुस्तक बैंक की योजना और छात्रावास की योजना क्रियान्वित की जायेगी ।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराना भी मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी ।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के 94 विकास खंडों में स्वयंसिद्धा परियोजना के अर्न्तगत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक तथा सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जायेगा । महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने, उनके उत्पीड़न के निवारक उपायों तथा कानूनों में यथोचित संशोधन आदि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कर उसे कार्यशील बनाया जायेगा ।

विकलांगों के कल्याण व विकास हेतु मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम/नियमों के प्राविधानों के अनुसार यथा आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से उत्पादक रूप से जोड़ा जा सके ।

सड़कें किसी भी प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का मूलभूत आधार वाक्य है । मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों की विद्यमान व्यवस्था को बेहतर बनाया जाय, उनके रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा उनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इस कार्य के लिये वित्तीय संसाधनों के नये स्रोतों का चिन्हीकरण एवं दोहन किया जायेगा ।

प्रदेश में छोटी-बड़ी अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं जो धन के अभाव अथवा अन्य कारणों से अपूर्ण पड़ी हुई हैं इससे न केवल संसाधनों का अपव्यय हो रहा है बल्कि जनता भी उनके पूर्ण लाभों से वंचित हो रही है । हमारी सरकार ऐसी सभी परियोजनाओं का पुनर्वलोकन करेगी तथा जन उपयोगिता के आधार पर यह मूल्यांकन करेगी कि कुछ निवेश करके इनमें से किन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक सदुपयोग सुनिश्चित हो सके । हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रचलित परियोजनाएं निर्धारित समय के अन्दर ही पूर्ण की जायं तथा इसके लिये कठोर अनुश्रवण की व्यवस्था विकसित की जायेगी ।

मेरी सरकार केन्द्र द्वारा संचालित एवं पुरोनिधानित विभिन्न विकास, जनकल्याण एवं खाद्यान्न वितरण की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी ताकि प्रदेश के अपने संसाधनों की उपादेयता को बढ़ाया जा सके एवं इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके । इसके लिये मेरी सरकार डवटेलिंग का सिद्धान्त अपनायेगी और केन्द्रीय एवं राज्य के संसाधनों के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करेगी ताकि उनका सर्वाधिक लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके । इस संदर्भ में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्याह्न भोजन योजना अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं को नवीन गति के साथ क्रियान्वित किया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में भी विगत वर्षों में जनसंख्या की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है । इस बढ़ती शहरी जनसंख्या के कारण बढ़ती बेरोजगारी एवं मलिन बस्तियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे हैं । मेरी सरकार की प्रतिबद्धता होगी कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूलभूत भौतिक सुविधाएं सुविधाजनक रूप से

प्राप्त हो सकें । साथ ही शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को अधिक से अधिक गतिशील बनाया जायेगा । साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान के लिये भी मेरी सरकार द्वारा सतत प्रयत्न किये जायेंगे । आवास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सरल बनाया जा रहा है । साथ ही स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के प्रक्रियाओं में सरलीकरण एवं सुधार करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी, ताकि जहां इन निकायों की सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो साथ ही आम नागरिक के हित के लिये सृजन किये जाने वाले सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं के लिये अधिक से अधिक धनराशि मुहैया करायी जा सके । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें तथा स्वावलम्बी बनें । पंचायत राज का यही मूल मंत्र है कि स्थानीय संस्थाएं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ही स्थानीय समस्याओं का निराकरण करें ।

नगरीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान भी हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है । सरकार इस ग्रीष्म ऋतु में यह ध्यान देगी कि नगरों में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध हो । इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी नगरों को पाइप्ड पेयजल से आच्छादित करा दिया जायगा । आगरा, मथुरा एवं वृन्दावन की पेयजल योजनाएं इस वर्ष पूर्ण कर ली जायेंगी । पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु लगातार गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने के लिये प्रदेश में लागू रेन वाटर हारवेस्टिंग की नीति को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा ।

शहरों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बाल्मीकि, अम्बेडकर आवासीय योजना के अन्तर्गत मलिन बस्ती निवासियों के लिये बड़े पैमाने पर आवासीय व्यवस्था की जायेगी । स्वच्छकार विमुक्ति की दशा में वैधानिक व्यवस्था हो जाने के उपरान्त उसे लागू करने के लिये विभिन्न विकल्प विकसित किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं । मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिये योजनाबद्ध कार्रवाई करेगी । देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये मेरी सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय अवस्थापना विकसित करने की दिशा में सार्थक कदम उठायेगी । इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा का यथोचित वातावरण बनाया जायेगा ताकि प्रदेश में उनकी यात्रा एवं प्रवास सुखद, आनन्द पूर्ण तथा आरामदायक हो । मेरी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विकसित करेगी । इस संदर्भ में बौद्ध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, अवध परिपथ, विन्ध्य परिपथ, जल विहार परिपथ, इको टूरिज्म एवं साहसिक पर्यटन परिपथ का व्यवस्थित विकास किया जायेगा । साहित्य एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों को भी पर्यटक केन्द्रों के तौर पर प्रक्षेपित किया जायेगा । गढ़मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसे भी प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा ।

उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश में वृक्षादन मात्र 4.46 प्रतिशत रह गया है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ना स्वाभाविक है । मेरी सरकार इस असंतुलन को दूर करने के प्रभावी कदम उठायेगी और जनसहभागिता के माध्यम से अधिकाधिक वृक्षारोपण करके प्रदेश की धरती पर वृक्षाच्छादन को बढ़ायेगी ।

प्रदेश में सर्वजन के हित हेतु एक समतामूलक समाज की स्थापना समरसता के माध्यम से करना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है । हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश की जनता धर्म, जाति, सम्प्रदाय और संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर एक-दूसरे के साथ भाई-चारे का व्यवहार करे ताकि प्रदेश के सम्पूर्ण

जनमानस में एक ऐसा वातावरण बने जिसमें ऊंच-नीच, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई कम हो सके और प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को विकास के महायज्ञ में बराबर भागीदारी करने का मौका प्राप्त हो सके।

माननीय सदस्यगण मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और प्राथमिकताओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस सत्र में कुछ विधेयक भी आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। अपना अभिभाषण समाप्त करने के पहले मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्यगणों का आचरण कैसा है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे और आपके विचार-विमर्श में सदैव निःस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और जनता का हित ही प्रमुख होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं।

जय हिन्द।]

दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री इकबाल महमूद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, प्रदेश में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी...

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात समझ गया हूं उचित समय पर कहिएगा।

श्री इकबाल महमूद–

जब भी कहीं विधान सभा का सत्र शुरू होता है तो पहले दिन जितने माननीय सदस्यों की मृत्यु हुई होती है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद सदन समाप्त हो जाता है, मैंने आज के एजेन्डे को देखा।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बता दूं, देखिये ऐसा है कि जिस कार्यक्रम की ओर आप इशारा कर रहे हैं, वह कल के लिए निर्धारित है। पहले दिन समवेत् सदनों की बैठक होती है यह औपचारिक कार्यवाही है। आप जो कह रहे हैं वह कल के लिए निर्धारित है।

श्री प्रमोद कुमार–

कल निधन के निदेश हैं। यह सदन में परम्परा रही है यदि कोई त्रासदी या बड़ी घटना होती है तो उसको जोड़ लिया जाय। गुजरात से ज्यादा विनाशकारी घटना कहीं नहीं हुई है। मानवता का वध हुआ है, लोकतन्त्र की हत्या हुई है [xxx]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

समय आने दीजिये अभी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2001

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीयकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान करारान (संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2001

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (नियुक्तियों का विनियमन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2001

सहकारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीयकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002

इलेक्ट्रानिक्स राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (डा० शीमा रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)

(चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2001

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2001 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा–(1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 सितम्बर, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(3) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(4) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्त प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथ

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(5) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(6) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 सितम्बर, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(7) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 सितम्बर, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान संस्थान विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(8) उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान संस्थान विधेयक, 2001 पर; जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(9) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(10) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(11) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश

विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(12) उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का इकत्तीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(13) उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(14) पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का तैंतीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(15) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का चौतीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(16) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का पैंतीसवां अधिनियम बन गया ।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(17) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 जून, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 जून, 2001 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का छत्तीसवां अधिनियम बन गया ।

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(18) राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 जून, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 01 जून, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 2 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का सैंतीसवां अधिनियम बन गया ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(19) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 01 जून, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 जून, 2001 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की

अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का अड़तीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16-17 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2002-2003 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली तीस स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदन को सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2002-2003 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	बुधवार, 22 मई, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय	गुरुवार, 23 मई, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 29 मई, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान–	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	बुधवार, 05 जून, 2002
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	गुरुवार, 06 जून, 2002

विधान सभा स्थित समिति कक्ष संख्या–44 ख में पूर्वाह्न 10-30 बजे से 4.00 बजे तक होगा ।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

मद संख्या–19 में कुछ नहीं है ।

(अब हम उठते हैं कल दिनांक 16-05-2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : **राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

दिनांक 15 मई, 2002 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 146 विधान सभा (245) 27-7-02–815 (डी०टी०पी०) ।